



कार्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:-

एफ-50/कार्मिक/सा.प्र./जननि/2021/ 674

दिनांक :- 02.09.2021

कार्यालय आदेश

वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 में प्रावधान किया गया था कि जब मंहगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक (Crosses 25%) होने पर मकान किराया भत्ते की दरें 'Y' और 'Z' श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 09 प्रतिशत संशोधित की जायेगी जिसके क्रम में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6(4) एफडी (रूल्स)/2017 दिनांक 22.07.2021 के द्वारा 'Y' और 'Z' श्रेणी के शहरों की मकान किराया भत्ते दरें क्रमशः 18 प्रतिशत और 09 प्रतिशत संशोधित की गई है। जो कि वेतन माह जुलाई 2021 भुगतान 01.08.2021 से लागू होगी।

उक्त आदेशों के क्रम में नगर निगम ग्रेटर जयपुर एवं अधिनस्थ कार्यालयों (नगरीय परिसीमा) में मकान किराया भत्ते की दर दिनांक 01.07.2021 से 'Y' श्रेणी के लिए 16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत संशोधित की जाती है जो कि वेतन माह जुलाई 2021 भुगतान 01.08.2021 से देय होगी।

Sd/
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
आईएएस
आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महोदय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
3. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. समस्त उपायुक्त जोन/मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. सहायक लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. अध्यक्ष/महामंत्री, कर्मचारी ट्रेड यूनियन, नगर निगम जयपुर
10. अध्यक्ष/महामंत्री, मोटर गौराज शाखा, नगर निगम जयपुर
11. अध्यक्ष/महामंत्री, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, नगर निगम जयपुर
12. कार्यालय अधीक्षक
13. ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
14. गार्ड फाईल

आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

Handi makan

Handi makan ^{di} restoran di luar